

न्यायालय: सिविल जज (जूंडिं)/जे०एम० जलेसर, एटा।

परिवाद संख्या- 168/2024

श्रीमती अंजली

-बनाम-

मुकेश दिवाकर आदि

10.04.2026

पत्रावली प्रस्तुत। पुकार पर परिवादिया उपस्थित नहीं आई।

पत्रावली का अवलोकन किया।

अवलोकन से स्पष्ट है कि पत्रावली वास्ते बयान अन्तर्गत धारा 223 बी०एन०एस०एस० हेतु नियत चली आ रही है। परिवादिया को बास्ते बयान अन्तर्गत धारा 223 बी०एन०एस०एस० हेतु दिनांक 11.03.2026 को अंतिम अवसर दिया जा चुका है, किन्तु परिवादिया विगत कई तिथियों से न्यायालय उपस्थित नहीं आ रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादिया उक्त मुकदमे में अब कोई रुचि नहीं ले रही है और वह उक्त वाद को चलाना नहीं चाहती है। ऐसी स्थिति में विपक्षीगण को बतौर अभियुक्त तलब किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में परिवादिया द्वारा प्रस्तुत परिवाद धारा 226 बी०एन०एस०एस० के अन्तर्गत निरस्त किये जाने योग्य है।

-आदेश-

परिवादिया द्वारा प्रस्तुत परिवाद अन्तर्गत धारा 226 बी०एन०एस०एस० निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(मोहित कुमार)

सिविल जज (जूंडिं)/

जे०एम० जलेसर, एटा

(J.O. Code UP 4823)